



सब पढ़ें सब बढ़ें
राज्य परिचालना कार्यालय,

2000 बच्चों के लिए शिक्षा परिचालना परिसर, शिक्षा भवन, मिनाटारज, लखनऊ - 226 007

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक
सर्व शिक्षा अभियान,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सर्व शिक्षा अभियान,
समस्त जनपद, उ०प्र०।

पत्रांक: नि०का०/एसएसए/आ०सुविधा/ 3826 / 2011-12

दिनांक: 02 नवम्बर, 2011

विषय: मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 631/2004, एन्वायरमेंटल एण्ड कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन फाउन्डेशन बनाम दिल्ली प्रशासन व अन्य के सम्बन्ध में शौचालय सुविधा उपलब्ध कराने विषयक

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक नि०का०/एस०एस०ए०/आ०सुविधा/3443/2011-12 दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 एवं पत्रांक नि०का०/एस०एस०ए०/आ०सुविधा/3715/2011-12 दिनांक 25 अक्टूबर, 2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा शौचालयविहीन विद्यालयों में शौचालयों की उपलब्धता की अद्यतन स्थिति निर्धारित प्रारूप पर भेजने के निर्देश दिये गये हैं।


उपरोक्त सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि जनपदों द्वारा मार्च, 2011 में जिलाधिकारी के माध्यम से जो सूचना उपलब्ध करायी गयी थी उसमें बालकों हेतु शौचालयविहीन विद्यालयों तथा बालिकाओं हेतु शौचालयविहीन विद्यालयों की पृथक-पृथक संख्या दर्शायी गयी है। आप अवगत हैं कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नवीन विद्यालय भवनों के डिजाइन में 02 शौचालय सम्मिलित थे और तदनुसार धनराशि जनपदों को उपलब्ध करायी गयी। इन 02 शौचालयों में से 01 शौचालय बालिकाओं के प्रयोगार्थ तथा 01 शौचालय बालकों के प्रयोगार्थ था। ऐसी स्थिति में बालिकाओं के लिये शौचालयों की उपलब्धता तथा बालकों के लिये शौचालयों की उपलब्धता भिन्न-भिन्न होने का कोई औचित्य नहीं है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक हो गया है कि विद्यालयों में बालिकाओं के लिये शौचालयों की उपलब्धता तथा बालकों के लिये शौचालयों की उपलब्धता की पृथक-पृथक सूचना ज्ञात की जाये ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से लगाये जाने वाले प्रतिशपथ पत्र में स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शायी जा सके।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद के विद्यालयों में बालिकाओं हेतु शौचालयों की उपलब्धता तथा बालकों हेतु शौचालयों की उपलब्धता के सम्बन्ध में संलग्न संशोधित प्रारूप पर सूचना दिनांक 10.11.2011 तक राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है, अतः आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नक: उक्तवत्।

भवदीय,


(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ०सं०: नि०का०/एसएसए/आ०सुविधा/ 3826 /2011-12 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

श्रीचालय विहीन विद्यालयों का विवरण

जनपद का नाम:

१२३५ -

जनपद में कुल विद्यालयों की संख्या			कितने विद्यालयों में श्रीचालय उपलब्ध नहीं है										
प्राथमिक विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय											कॉलम 12 में से श्रीचालय विहीन ऐसे विद्यालयों की संख्या जो 2006 के पूर्व निर्मित हैं।	कॉलम 12 में से श्रीचालय विहीन ऐसे विद्यालयों की संख्या जो 2006 के बाद निर्मित हैं तथा कारण।
	उच्च प्राथमिक विद्यालय	योग	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	योग	ऐसे विद्यालयों की संख्या जहां बालकों के लिये श्रीचालय उपलब्ध नहीं है।	ऐसे विद्यालयों की संख्या जहां बालिकाओं के लिये श्रीचालय उपलब्ध नहीं है।	योग	ऐसे विद्यालयों की संख्या जहां बालकों के लिये श्रीचालय उपलब्ध नहीं है।	ऐसे विद्यालयों की संख्या जहां बालिकाओं के लिये श्रीचालय उपलब्ध नहीं है।	योग	ऐसे विद्यालयों की संख्या जहां बालकों के लिये श्रीचालय उपलब्ध नहीं है। (कॉलम 4+7)	ऐसे विद्यालयों की संख्या जहां बालिकाओं के लिये श्रीचालय उपलब्ध नहीं है। (कॉलम 5+8)	योग		

१० /
 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
 जनपद